

नियम समिति

1.	श्री नन्द किशोर यादव	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री सम्राट चौधरी	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार सिन्हा	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार चौधरी	मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	मंत्री, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती लेशी सिंह	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्या
7.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	नेता, विरोधी दल	सदस्य
8.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्री अजय कुमार	स०वि०स०	सदस्य

बिहार विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

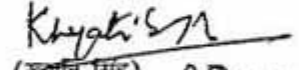
पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

संख्या-वि०स०नियम-01/2020-2829/ वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-286 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार विधान सभा की नियम समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1.	श्री नन्द किशोर यादव	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री सम्राट चौधरी	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार सिन्हा	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार चौधरी	मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य
5.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	मंत्री, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती लेशी सिंह	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्या
7.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	नेता, विरोधी दल	सदस्य
8.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्री अजय कुमार	स०वि०स०	सदस्य

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2025 से सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक होगा ।

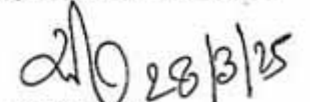
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(राजत सिंह)
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-2830 / वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिनिधि:-बिहार विधान सभा की नियम समिति के सभापति एवं सदस्यगण / माननीय मुख्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग, पटना / प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / उप सचिव एवं अवर सचिव / संयुक्त निदेशक / लेखा शाखा / जनसंपर्क शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा / अवधायक शाखा, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020- 2830

/ वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:-कोषागार पर्याधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/25
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

2830

/ वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:-निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।

28/3/25
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

2830

/ वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अभिसूचना की 20 (बीस) प्रतिवाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

28/3/25
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

28/3/25

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक-29 जून, 2024 ई० ।

संख्या-वि०स०नियम-01/2020-1244 / वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 286 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक-01.07.2024 से 31.03.2025) तक के लिए सप्तदश बिहार विधान सभा की नियम समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1.	श्री नन्द किशोर यादव	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री सम्राट चौधरी	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री विजय कुमार सिन्हा	उप-मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार चौधरी	मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य
5.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव	मंत्री, ऊर्जा विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती लेशी सिंह	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्या
7.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	नेता, विरोधी दल	सदस्य
8.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री तार किशोर प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०	सदस्य
12.	श्री अजय कुमार	स०वि०स०	सदस्य

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(राज कुमार)
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

1245 / वि०स०, पटना, दिनांक-29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि:-बिहार विधान सभा की नियम समिति के सभापति एवं सदस्यगण / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग, पटना / प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / उप सचिव एवं अवर सचिव / संयुक्त निदेशक / लेखा शाखा / जनसंपर्क शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा / अवधायक शाखा, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

1245

/ वि०स०, पटना, दिनांक 29 जून, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

1245

/ वि०स०, पटना, दिनांक 29 जून, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।


(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापक-वि०स०नियम-01/2020-

1245

/ वि०स०, पटना, दिनांक 29 जून 2024 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 20 (बीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।


(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

29.6.24
29.6.24